शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई–मेल– registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2–1–2 / 425 / सम्बद्धता / 2021 / 927 रायगढ़, दिनाँक 14.09.2021

/ / आदेश / /

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2–1–2 / 425 / सीट वृद्धि / 2021 / 817, रायगढ़, दिनांक 03.09.2021 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग,रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 17–08 / 2021 / 38–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10.08.2021 के द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर श्री महंत लालदास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय शिवरीनारायण जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से निम्नानुसार नवीन विषय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित निर्धारित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है :–

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.एस.सी. पूर्व (वनस्पति शास्त्र)	15 सीट
02	एम.एस.सी. पूर्व (कम्प्यूटर विज्ञान)	10 सीट

निर्धारित शर्तें :–

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. धारा 28 में शिक्षकों की नियुक्ति किया जावें।
4. पाठ्यक्रमानुसार 100–100 पुस्तकें क्रय किया जावें।
5. 20 नवीन कम्प्यूटर क्रय किया जावे ।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 15.10.2021 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बद्धता आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2–1–2 / 425 / सम्बद्धता / 2021 / 928 रायगढ़, दिनाँक 14.09.2021

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव,छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर,रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, श्री महंत लालदास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय शिवरीनारायण, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. फोल्डर फाईल, नस्ती हेतु।

14/09/20

प्रभारी अधिकारी (अका.)